

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *313
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

लोक अदालतों के लिए पात्र मामले

***313. श्री जी. सेल्वम :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में कितनी लोक अदालतें आयोजित की गईं तथा इस अवधि के दौरान कुल कितने मामले निपटाए गए ;

(ख) देश भर के विभिन्न राज्यों में लोक अदालतों के माध्यम से समाधान के लिए पात्र कितने मामले लंबित हैं ;

(ग) क्या लोक अदालतें नियमित अदालतों पर बोझ कम करने में प्रभावी रही हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार ने लंबित मामलों को कम करने में लोक अदालतों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है तथा यदि हां, तो ऐसे मूल्यांकन के मुख्य निष्कर्ष क्या रहे हैं ;

(ङ) क्या सरकार का और अधिक श्रेणियों के मामलों पर कार्रवाई के लिए लोक अदालतों के अधिकारक्षेत्र का विस्तार करने की योजना है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) क्या सरकार का लोक अदालतों की दक्षता में सुधार करने तथा उनकी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए किन्हीं सुधारों का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

(क) से (च) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

‘लोक अदालतों के लिए पात्र मामले’ के संबंध में पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *313 जिसका उत्तर तारीख 21.03.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (च) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

(क) से (ग) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के उपबंधों के अनुसार देश भर में लोक अदालत का आयोजन उक्त अधिनियम के अधीन यथा विहित विषय-वस्तु और उक्त अधिनियम की धारा 2(1)(ककक) के अधीन यथा परिभाषित न्यायालयों के विनियमों के लिए किया जाता है। लोक अदालत में न्यायालय में या मुकदमे-पूर्व चरण में लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन लोक अदालत को कानूनी दर्जा दिया गया है। लोक अदालत द्वारा दिया गया पंचाट सिविल न्यायालय की डिग्री माना जाता है और यह अंतिम होता है तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है तथा इस डिग्री के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों, राज्य लोक अदालतों और स्थायी लोक अदालतों (लोक उपयोगिता सेवाएं) द्वारा आयोजित लोक अदालतों की संख्या, प्राप्त मामलों और निपटाए गए मामलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार (तमिलनाडु सहित) और वर्ष-वार ब्यौरा क्रमशः **उपाबंध-क, उपाबंध-ख और उपाबंध-ग** पर दिया गया है।

लोक अदालतें समय-समय पर बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा करके न्यायालयों के मामला भार को कम करती हैं। पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष (दिसंबर तक) के दौरान लोक अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या का विवरण इस प्रकार है:

(i) राष्ट्रीय लोक अदालत

वर्ष	टाए गए मुकदमे-पूर्व मामले	टाए गए लंबित मामले	ए गए कुल मामले
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023	7,10,32,980	1,43,09,237	8,53,42,217
2024	8,70,19,059	1,75,07,060	10,45,26,119

(ii) राज्य लोक अदालत

वर्ष	टाए गए मुकदमे-पूर्व मामले	टाए गए लंबित मामले	ए गए कुल मामले
2022-23	94,939	7,56,370	8,51,309
2023-24	2,19,230	9,87,873	12,07,103
2024-25	7,68,560	4,39,667	12,08,227

(iii) स्थायी लोक अदालत (लोक उपयोगिता सेवाएं)

वर्ष	निपटाए गए कुल मामले
2022-23	1,71,138
2023-24	2,32,763
2024-25	1,61,277

(घ) : लोक अदालतों का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के तत्वावधान में किया जाता है और नालसा लगातार लोक अदालतों के कामकाज की निगरानी करता है। इसके अतिरिक्त, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए) को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 के अधीन अधिक लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए दिशा-निर्देश/निदेश जारी किए गए

हैं ताकि लंबित मामलों को कम किया जा सके। वर्तमान में लंबित मामलों को कम करने में लोक अदालतों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, विधिक सेवा प्राधिकरणों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए नालसा सभी एसएलएसए से मासिक क्रियाकलाप रिपोर्ट प्राप्त करता है, जिसमें किसी विशेष महीने में किए गए सभी क्रियाकलापों पर प्रकाश डाला जाता है। इसके पश्चात्, नालसा द्वारा मासिक आधार पर एक अंतिम क्रियाकलाप रिपोर्ट सरकार को भेजी जाती है, जिसकी समीक्षा की जाती है और उसे संकलित किया जाता है। मासिक क्रियाकलाप रिपोर्टों के अलावा, नालसा सभी एसएलएसए से वार्षिक रिपोर्ट भी प्राप्त करता है और अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, विधिक सेवा प्राधिकरणों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए नालसा द्वारा अखिल भारतीय और क्षेत्रीय बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

(ड) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 के विनियम 10 में लोक अदालतों को "मामलों और विषयों का निर्देश" का उपबंध किया गया है। वर्तमान में, इन विनियमों में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) : लोक अदालतों की दक्षता और पहुंच में सुधार करने के लिए, कोविड के दौरान ई-लोक अदालत की अवधारणा बनाई गई थी, जिससे उन लोगों के लिए न्याय तक पहुंच में काफी सुधार हुआ जो अन्यथा लोक अदालतों में भाग लेने में असमर्थ थे। पहली ई-लोक अदालत 27.06.2020 को आयोजित की गई थी और तब से 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में ई-लोक अदालतें आयोजित की गई हैं, जिनमें 10.30 करोड़ मामले लिए गए, जिनमें से 1.15 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया।

'लोक अदालतों के लिए पात्र मामले' के संबंध में पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *313 के भाग (क) से (ग), जिसका उत्तर तारीख 21-03-2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024 के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों में प्राप्त और निपटाए गए मामलों (मुकदमा-पूर्व और लंबित दोनों मामलों) की जानकारी वाला विवरण।											
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण का नाम	2020		2021		2022		2023		2024	
		प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले								
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	756	248	5844	3997	5555	3310	5933	1536	7594	2976
2	आंध्र प्रदेश	74182	37896	244508	122839	1026449	647956	982779	671612	497317	262449
3	अरुणाचल प्रदेश	1108	104	5689	1054	7938	1071	6837	990	8028	1771
4	असम	158013	12188	341969	39642	707744	113989	963744	164445	1079328	179325
5	बिहार	645225	66451	1236850	151620	2594655	305483	2868992	357765	3183423	355600
6	चंडीगढ़	10261	2569	40301	16833	77646	15569	96578	63764	59511	36743
7	छत्तीसगढ़	259978	24464	355912	134548	1539971	1125318	2105736	1664237	5141101	4634630
8	दादरा और नागर हवेली	7524	1768	1443	172	4343	1323	8456	982	8228	724
	दमण और दीव	282	31	474	113	1959	215	43579	19650	23371	8234
9	दिल्ली	92182	83006	178033	154992	617852	535025	817332	671278	852367	665892
10	गोवा	3030	351	7863	1680	24461	3934	23018	3505	26816	4052
11	गुजरात	184934	41584	1466063	748722	2731581	1185571	3926438	1863177	4410203	2161033
12	हरियाणा	120660	30298	337011	123413	1100069	673487	1343620	985650	1834082	1376486
13	हिमाचल प्रदेश	12449	5971	88428	35556	255681	111150	368230	150181	365995	182024
14	जम्मू-कश्मीर	21151	13258	212805	166544	459202	390496	530332	404665	727975	679992
15	झारखंड	127139	53152	394734	232473	1386756	1121405	3053483	2822947	5375328	5171277
16	कर्नाटक	652793	334681	2061134	1277856	5167842	3444607	17195581	14840452	15925526	14369064
17	केरल	86812	15010	182458	68681	395978	136101	285372	57726	311233	59020
18	लद्दाख	0	0	1958	1463	1948	1444	2796	1781	3026	2150
19	लक्षद्वीप	22	8	30	7	318	129	107	41	183	42
20	मध्य प्रदेश	1075359	108365	2081030	347333	3125248	419776	3489492	536105	3389490	499888
21	महाराष्ट्र	1578775	215837	9836163	2440375	34223486	4754239	27444014	3543736	58086210	4675264
22	मणिपुर	339	204	1144	794	1905	1343	636	437	1161	1003
23	मेघालय	2344	303	4299	852	5318	956	4277	680	4506	915

24	मिजोरम	800	218	3991	790	13529	4432	10757	4087	6745	1230
25	नागालैंड	327	251	2251	941	3229	888	2566	801	2911	1021
26	ओडिशा	181974	18329	338879	35557	821017	337065	898167	348288	1323513	758705
27	पुडुचेरी	6868	1738	11640	5084	21110	6405	23240	6297	25497	4331
28	पंजाब	131951	32528	345910	138175	824437	392256	1140074	760712	1524941	1161869
29	राजस्थान	526492	103060	1100126	286834	6685251	4572315	19870336	16586071	15188298	12303117
30	सिक्किम	30	30	144	110	402	232	263	126	246	129
31	तमिलनाडु	2079165	88819	417845	191604	840700	447536	704748	355762	769962	338520
32	तेलंगाना	60103	47560	372326	349902	1622035	1611677	5634105	5591849	14750839	14693814
33	त्रिपुरा	2677	382	6360	1070	30126	4814	50635	15724	79365	42910
34	उत्तर प्रदेश	2917151	1171022	10685822	5551793	30114718	18698973	47350615	31644594	48137476	38487330
35	उत्तराखंड	41700	8088	45636	20882	100809	67438	116672	85032	98566	86813
36	पश्चिमी बंगाल	86618	28596	248604	133736	1078663	788082	1445470	1115532	1739032	1315776
	कुल योग	11151174	2548368	32665677	12788037	97619931	41926010	142815010	85342217	184969393	104526119

'लोक अदालतों के लिए पात्र मामले' के संबंध में पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *313 के भाग (क) से (ग), जिसका उत्तर तारीख 21.03.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 (दिसंबर, 2024 तक) के दौरान गठित राज्य लोक अदालतों और पीठों में प्राप्त और निपटाए गए मामलों (मुकदमा-पूर्व और लंबित दोनों मामले) की जानकारी वाला विवरण।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण का नाम	2020-21			2021-22			2022-23			2023-24			2024-25		
		गठित पीठों की संख्या	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले	गठित पीठों की संख्या	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले	गठित पीठों की संख्या	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले	गठित पीठों की संख्या	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले	गठित पीठों की संख्या	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	1	542	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	3585	52229	30461	4874	19558	12123	4999	16380	6720	80	3511	1825	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	6	105	25	24	211	91	1	5	4	0	0	0	0	0	0
4	असम	6	54	1	136	35117	13672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	बिहार	28	15092	97	1	1260	6	9	576	574	0	0	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	26	409	1	69	822	37	30	6536	538	32	5455	1413	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	491	10030	3475	187	1511	228	124	1487	139	0	0	0	0	0	0
8	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	300	200453	195359	250	149500	147103	60	15773	11094	198	131178	123151	184	149892	142568
10	गोवा	8	2284	777	30	1857	3209	43	5094	1308	13	1109	245	8	1969	329
11	गुजरात	2851	41205	21880	5157	50840	15546	3805	95554	19717	12	11311	244	2430	25518	9914
12	हरियाणा	33774	87166	52789	54762	183542	115797	43135	420041	230018	92	37733	29196	0	0	0
13	हिमाचल प्रदेश	90	6247	3205	260	73822	22031	142	6798	4198	59	2968	2880	41	1542	1507
14	जम्मू-कश्मीर	125	13946	9469	24	5191	3271	225	88719	76683	134	31572	28170	242	32853	29115
15	झारखंड	607	82855	79649	1310	25336	22954	1523	15668	10868	1495	39685	33718	1032	1088707	797984
16	कर्नाटक	1912	250370	121884	412	5221	2524	229	35802	2632	0	0	0	0	0	0
17	केरल	721	17618	4837	302	184575	19226	607	85191	23246	657	108894	26231	576	80102	21526
18	लद्दाख	0	0	0	4	43	32	4	294	240	0	0	0	0	0	0

19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	3	32	3	1	2	1	1	4	2
20	मध्य प्रदेश	1714	55354	14903	808	17282	4110	1242	14064	5367	1472	60425	48996	868	7873	1937
21	महाराष्ट्र	22	1092	605	6	45	28	30	2954	341	38	6432	580	5	28	1
22	मणिपुर	1	32	21	0	0	0	4	91	43	0	0	0	13	331	295
23	मेघालय	0	0	0	23	619	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	मिजोरम	27	435	147	17	551	204	41	3855	1202	12	273	94	48	1779	524
25	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	239	26104	4628	12	1770	326	6	135624	112422	3	284068	244230	0	0	0
27	पुडुचेरी	24	1208	392	42	4728	262	47	13781	743	38	10770	492	23	8431	319
28	पंजाब	0	0	0	339	6294	1108	6	20	15	154	6133	2268	0	0	0
29	राजस्थान	607	85891	34514	786	17182	845	1202	35255	1628	1086	40751	1039	793	25343	724
30	सिक्किम	110	591	158	110	1590	636	150	1513	887	143	1111	784	117	1098	636
31	तमिलनाडु	767	49993	13117	759	76747	13066	1295	119811	16369	1336	196315	34744	452	70051	6041
32	तेलंगाना	1501	27445	24327	2827	9043	7363	2604	32367	25365	2474	177182	171817	1931	78104	59122
33	त्रिपुरा	12	15132	6938	93	29317	11624	19	8033	2492	62	39021	25637	35	19798	13080
34	उत्तर प्रदेश	200	172225	100305	57	65708	31414	30	1768325	259125	172	1020023	411941	225	251198	116107
35	उत्तराखंड	121	18482	6166	25	19190	8605	125	56459	26498	102	37193	17407	64	14610	6496
36	पश्चिमी बंगाल	575	24812	13853	774	93743	74999	454	17167	10830	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	50451	1259401	744073	74480	1082215	532529	62194	3003269	851309	9865	2253115	1207103	9088	1859231	1208227

'लोक अदालतों के लिए पात्र मामले' के संबंध में पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *313 के भाग (क) से (ग), जिसका उत्तर तारीख 21.03.2025 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 (दिसंबर, 2024 तक) के दौरान स्थायी लोक अदालतों (लोक उपयोगिता सेवाएं) की बैठकों की संख्या, इन बैठकों में प्राप्त मामलों और निपटाए गए मामलों की जानकारी वाला विवरण।

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकरण का नाम	2020-21			2021-22			2022-23			2023-24			2024-25		
		बैठकों की संख्या	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले	बैठकों की संख्या	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले	बैठकों की संख्या	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले	बैठकों की संख्या	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले	बैठकों की संख्या	प्राप्त मामले	निपटाए गए मामले
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	431	1432	1283	927	1107	1406	1058	387	558	1349	1479	1134	1028	1074	1171
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	असम	99	35	12	141	114	56	213	66	56	195	133	97	121	43	24
5	बिहार	977	363	203	482	419	221	313	235	157	0	0	0	0	0	0
6	चंडीगढ़	246	233	108	240	1121	687	241	7563	10945	239	11322	11511	184	7848	7871
7	छत्तीसगढ़	346	126	32	1045	1303	1199	1224	2003	2028	1174	6899	6749	844	12349	12442
8	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	532	13883	14765	791	17451	17395	773	18288	18682	781	19682	19337	582	16134	15947
10	गोवा	24	424	30	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	479	53
11	गुजरात	1	105	105	9	846	2238	1	8	8	0	0	0	0	0	0
12	हरियाणा	3413	10848	9654	3547	31843	30960	3416	70102	72440	3659	101318	107362	2706	56319	56946
13	हिमाचल प्रदेश	6	16	10	9	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	झारखंड	3554	22018	1943	5144	19530	32514	6216	30114	26154	5826	29779	35715	4243	28194	26504
16	कर्नाटक	1069	2093	3869	1292	3181	5371	904	7338	4588	603	4709	4190	1017	4338	6269
17	केरल	336	4166	248	212	5824	1104	226	369	2564	415	262	1527	271	297	407
18	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	455	820	270	886	1510	574	1176	514	608	1071	264	409	683	175	251
21	महाराष्ट्र	541	129	249	918	642	765	1017	1370	1208	1023	779	485	744	710	1050

22	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	583	1867	1350	742	1270	1561	753	1358	1612	1041	1344	1891	863	1720	1374
27	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	पंजाब	2868	3627	3987	4538	9023	9967	4902	12907	14545	4969	21521	20279	3738	16272	15924
29	राजस्थान	1123	2968	806	2960	4665	3228	4435	4804	5072	4230	5382	5799	3862	4007	3575
30	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	236	165	80	671	421	272	1121	597	528	1119	439	427	787	358	339
32	तेलंगाना	66	2498	549	108	8789	6674	118	14101	7540	104	12136	12746	57	7193	9172
33	त्रिपुरा	1	20	0	44	118	81	70	165	162	97	152	157	85	176	154
34	उत्तर प्रदेश	2714	0	383	3961	2974	1087	3720	2637	1173	4476	2713	2516	2794	1410	1348
35	उत्तराखंड	156	1145	522	484	3234	765	590	832	510	649	411	432	535	481	456
36	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	19777	68981	40458	29153	115396	118136	32487	175758	171138	33020	220724	232763	25148	159577	161277
